

30.01.20

पवावली आज पेक्षा हुई दीनों पक्षों के वकील  
अनुपस्थित वादीगण हक्य अनुपस्थित। वादीगण  
को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीं बार  
तीन-तीन आवाजें दिलाई गडी बावजूद  
आवाजें दिगाने के वादीगण एवं वादीगण के  
अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उक्त  
प्रकरण वादीगण की अडम दायरी अडम पक्षी  
में खारिज किया जाता है पवावली निर्दिष्ट  
अुमार होकर दाखिल इफतर हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) गुजामालानी

